उ0प्र0 डिज़ाइन एवं शोध संस्थान, लखनऊ

U.P. Institute of Design & Research, Lucknow

(सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग, उ0प्र0 सरकार की स्वायत्तशासी संस्था)

हरिहरपुर, नियर– देलही पब्लिक स्कूल, राबर्टस लाइन,

अमर शहीद पथ, लखनऊ– 226002

दूरभाष– +91–7080963313, वेबसाइट– www.upid.ac.in, ई–मेल–admin@upid.ac.in

UPiDR

पत्रांक 79 / उ0प्र0डि0संस्थान(ल.) / 2024–25 दिनांकः 23 जुलाई, 2024

अभिरूचि हेतु आमंत्रण

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2024–25 में एक जनपद एक उत्पाद योजनान्तर्गत 07 जनपद क्रमशः आगरा, लखीमपुर–खीरी, लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर, अमेठी तथा बरेली में प्रशिक्षण संपन्न कराये जाने हेतु **जनजातीय शिल्प (ट्राइबल क्राफ्ट), गुड़ उत्पाद, रेशम उत्पाद, गुलाबी मीनाकारी, मूंज उत्पाद, खाद्य प्रसंस्करण एवं सुनारी उद्योग** क्राफ्ट में तथा विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजनान्तर्गत 06 जनपद क्रमशः लखनऊ, रायबरेली, हरदोई, अमेठी, महोबा तथा श्रावस्ती में प्रशिक्षण संपन्न कराये जाने हेतु **बढ़ई, राजमिस्त्री, हलवाई, सुनार एवं दर्जी** ट्रेड में सेक्टर स्किल काउंसिल से टी0ओ0टी0 धारकों की आवश्यकता है।

तत्क्रम में जिन फर्मों के पास सम्बन्धित सेक्टर स्किल काउंसिल के टी0ओ0टी0 धारक / ट्रेनरों से भारत सरकार तथा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाये जा रहे प्रशिक्षण कार्यक्रमों (विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, एक जनपद–एक उत्पाद योजना, उ0प्र0 कौशल विकास मिशन तथा हस्तशिल्प विकास योजना) में प्रशिक्षण कराये जाने का अनुभव है, से प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते है। फर्म के चयन हेतु नियम व शर्तें निम्नवत है–

1. UP INSTITUTE OF DESIGN LKO के नाम पर रु0 10,000.00 (रुपया दस हजार मात्र) की आवेदन फीस जमा करनी होगी।
2. UP INSTITUTE OF DESIGN LKO के नाम पर रु0 6,500.00 (रुपया छः हजार पाँच सौ मात्र) की ईएमडी जमा करनी होगी।
3. विगत वर्षों में विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, एक जनपद–एक उत्पाद योजना, उ0प्र0 कौशल विकास मिशन तथा हस्तशिल्प विकास योजना में प्रशिक्षण प्रदान करने के कार्यादेश।
4. धनराशि रु0 100.00 के स्टाम्प पर नॉन ब्लैकलिस्ट सर्टिफिकेट (नोटरी सहित)।
5. प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न कराने हेतु अधिकृत व्यक्ति का नाम, पता व मोबाइल नम्बर।
6. आधार कार्ड तथा पेन कार्ड।
7. जी0एस0टी0 सर्टिफिकेट।
8. विगत तीन वर्षों का आई0टी0आर0, बैलेंस सीट, सी0ए0 द्वारा ऑडिटिड।
9. विगत 03 वर्षो का सीए द्वारा प्रमाणित टर्नओवर सर्टिफिकेट।
10. फर्म के पास उपलब्ध टी0ओ0टी0 धारक / ट्रेनर की सूचना निर्धारित प्रारूप पर तथा सेक्टर स्किल काउंसिल का निर्धारित क्यूपी कोड का सर्टिफिकेट संलग्न करना अनिवार्य है।

तालिका क–

एक जनपद एक उत्पाद		
क्र0सं0	**क्राफ्ट का नाम**	**क्यूपी कोड**
1.	जनजातीय शिल्प (ट्राइबल क्राफ्ट)	HCS/Q8702, HCS/Q8704
2.	गुड़ उत्पाद	FIC/Q8501, FIC/Q8504

क्रमशः पृष्ठ - 02

3.	रेशम उत्पाद	HCS/Q7301
4.	गुलाबी मीनाकारी	HCS/Q7301
5.	मूंज उत्पाद	HCS/Q9004
6.	खाद्य प्रसंस्करण	FIC/Q0102, FIC/Q0103, FIC/Q0101
7.	सुनारी उद्योग	G&J/Q0611

तालिका ख–

विश्वकर्मा श्रम सम्मान		
क्र0सं0	**क्राफ्ट का नाम**	**क्यूपी कोड**
1.	बढ़ई	FFS/Q0102
2.	राजमिस्त्री	CON/Q0102, CON/Q0103, CON/Q3603-SI003, CON/Q3603
3.	हलवाई	FIC/QA504. FIC/Q9007, FIC/Q0101, FIC/Q0103, FIC/Q0102
4.	सुनार	GNJ/Q0611
5.	दर्जी	AMH/Q0301, AMH/Q1230, AMH/Q1010, AMH/Q1947, AMH/Q0701

नोट– दोनों योजनाओं हेतु टीओटी धारकों का विवरण निम्न प्रारूप पर अलग–अलग लिफाफे में उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

सूचना का निर्धारित प्रारूपः–

क्र0	टी0ओ0टी0 धारक/ट्रेनर का नाम	पिता/पति का नाम	क्राफ्ट/ट्रेड	सेक्टर स्किल काउंसिल का नाम	सर्टिफिकेट नम्बर	वैधता	आधार नम्बर	मोबाइल नम्बर	पता

नोट– न्यूनतम 10 टी0ओ0टी0 धारक उपलब्ध कराना अनिवार्य है।

उक्त कार्य को करने हेतु इच्छुक फर्में दिनांक– 01/08/2024 को सायं–05.00 बजे तक अपना आवेदन सीलबन्द लिफाफे में एडमिन कार्यालय में जमा कराना सुनिश्चित करें।

प्राप्त आवेदनों को दिनांक– 02/08/2024 को पूर्वाह्न–11.00 बजे सम्बन्धित कमेटी के समक्ष खोला जायेगा। एक या सभी आवेदन निरस्त करने का अधिकार निदेशक में निहित होगा।

(प्रांजल यादव)
निदेशक